

**न्यायालय-श्रीष कौलाश शुक्ल, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बैहर**  
**जिला-बालाघाट, (म.प्र.)**

आप.प्रक.क्रमांक-792/2014  
 संस्थित दिनांक-02.09.2014  
 फाईलिंग क्र.234503006652014

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र-परसवाड़ा

जिला-बालाघाट (म.प्र.)

**अभियोजन**

**// विरुद्ध //**

1-राजेन्द्र पिता रूपलाल, उम्र-29 वर्ष,  
 निवासी-ग्राम भीकेवाड़ा, थाना परसवाड़ा,  
 जिला बालाघाट (म.प्र.)

2-रूपलाल पिता भीवराम, उम्र-62 वर्ष,  
 निवासी-ग्राम भीकेवाड़ा, थाना परसवाड़ा,  
 जिला बालाघाट (म.प्र.)

3-गजेन्द्र पिता रूपलाल, उम्र-33 वर्ष,  
 निवासी-ग्राम भीकेवाड़ा, थाना परसवाड़ा,  
 जिला बालाघाट (म.प्र.)

4-ममता पति गजेन्द्र रहांगडाले, उम्र-32 वर्ष,  
 निवासी-ग्राम भीकेवाड़ा, थाना परसवाड़ा,  
 जिला बालाघाट (म.प्र.)

**आरोपीगण**

**// निर्णय //**

**(आज दिनांक-02/08/2016 को घोषित)**

1- आरोपीगण के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा-498 ए एवं धारा-3, 4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम के तहत आरोप है कि उन्होंने दिनांक-12.08.2014 को दिन के 3:00 बजे, ग्राम नोहारीटोला (भीकेवाड़ा) फरियादी के घर, अंतर्गत थाना परसवाड़ा में फरियादी ललिता रहांगडाले के पति होते हुए दहेज की मांग को लेकर फरियादी ललिता रहांगडाले के साथ दुर्व्यवहार कर शारीरिक एवं मानसिक रूप से प्रताड़ित कर क्रूरतापूर्ण व्यवहार किया, फरियादी ललिता रहांगडाले के विवाह के पश्चात् परोक्ष रूप से दहेज में सोना, चांदी, भैंस एवं पैसे की मांग की।

2- अभियोजन कहानी संक्षेप में इस प्रकार है कि फरियादी ललिता रहांगडाले ने दिनांक-12.08.2014 को पुलिस थाना परसवाड़ा आकर यह रिपोर्ट दर्ज कराई कि वह ग्राम

लोहारीटोला में रहती है और आंगनवाड़ी कार्यकर्ता का कार्य करती है। दिनांक-12.08.2014 को वह अपने मायके गई थी और लगभग 3 बजे वह अपने ससुराल आई तो उसके पति ने उसे माँ-बहन की अश्लील गालियां दी और कहा कि दहेज में सोना, चांदी, पैसे लेकर आए। इसके पूर्व उसके ससुर रूपलाल, जेठ गजेन्द्र, जेठानी ममता ने भी उससे दहेज की मांग को लेकर उसे प्रताड़ित किया था और उसके साथ मारपीट की थी। फरियादी की उपरोक्त रिपोर्ट के आधार पर आरक्षी केन्द्र परसवाड़ा में आरोपीगण के विरुद्ध अपराध क्रमांक-115/14, भारतीय दण्ड संहिता की धारा-323, 498ए, 34 एवं धारा-3, 4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम का अपराध पंजीबद्ध कर प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध की गई। विवेचना के दौरान पुलिस द्वारा घटना स्थल का नजरी नक्शा तैयार किया गया, गवाहों के कथन लिये गये तथा आरोपीगण को गिरफ्तार कर सम्पूर्ण विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया।

3- आरोपीगण को भारतीय दण्ड संहिता की धारा-498(ए) एवं धारा-3, 4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम के अंतर्गत आरोप पत्र तैयार कर पढ़कर सुनाए व समझाए जाने पर उन्होंने जुर्म अस्वीकार किया एवं विचारण का दावा किया है। आरोप पत्र विरचित करने के पूर्व फरियादी एवं आरोपीगण के मध्य राजीनामा हो जाने से शमनीय प्रकृति की धारा-294, 323 भा.द.वि. के अपराध के आरोप से आरोपीगण को दोषमुक्त किया गया है तथा शेष धाराएं शमनीय प्रकृति की न होने से उनका विचारण किया जा रहा है। आरोपीगण ने धारा-313 द.प्र.सं. के अंतर्गत अभियुक्त कथन में स्वयं को निर्दोष होना एवं झूठा फंसाया जाना व्यक्त किया है। आरोपीगण द्वारा प्रतिरक्षा में बचाव साक्ष्य नहीं देना व्यक्त किया गया।

4- प्रकरण के निराकरण हेतु निम्नलिखित विचारणीय बिन्दु यह है कि:-

1. क्या आरोपीगण ने दिनांक-12.08.2014 को दिन के 3:00 बजे, ग्राम नोहारीटोला (भीकेवाड़ा) फरियादी के घर, अंतर्गत थाना परसवाड़ा में फरियादी ललिता रहांगडाले के पति होते हुए दहेज की मांग को लेकर फरियादी ललिता रहांगडाले के साथ दुर्व्यवहार कर शारीरिक एवं मानसिक रूप से प्रताड़ित कर क्रूरतापूर्ण व्यवहार किया ?
2. क्या आरोपीगण ने उक्त घटना दिनांक, समय व स्थान पर फरियादी ललिता रहांगडाले के विवाह के पश्चात् परोक्ष रूप से दहेज में सोना, चांदी, भैंस एवं पैसे की मांग की ?

विचारणीय बिन्दु क्रमांक-1 एवं 2 का निष्कर्ष :-

5- अभियोजन की ओर से परिक्षित साक्षी श्रीमती ललिता रहांगडाले (अ.सा.1) ने

अपने न्यायालयीन परीक्षण में कहा है कि आरोपी राजेन्द्र उसका पति है तथा शेष आरोपीगण उसके पति के रिश्तेदार हैं। घटना उसके बयान देने के एक वर्ष पूर्व की है। उसका आरोपीगण से मायके जाने की बात को लेकर विवाद हुआ था, जिसकी रिपोर्ट उसने थाना परसवाड़ा में की थी, जो प्रदर्श पी-1 है, जिसके ए से ए भाग पर उसने हस्ताक्षर किये थे। पुलिस ने उसके समक्ष घटनास्थल का नजरीनक्शा नहीं बनाया था और न ही जप्ती की कार्यवाही की थी। नजरीनक्शा प्रदर्श पी-2 एवं जप्तीपत्रक प्रदर्श पी-3 पर उसके हस्ताक्षर हैं। पुलिस ने उसके बयान लेख नहीं किये थे। अभियोजन द्वारा साक्षी को पक्षद्रोही घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने इस बात से इंकार किया कि दिनांक-12.08.2014 को आरोपी ने दहेज में सोना, चांदी, भैंस व पैसे लाने की बात को लेकर उसके साथ गाली गलौज की थी एवं उसके साथ मारपीट की थी। साक्षी ने इस बात से भी इंकार किया कि उसके ससुर आरोपी रूपलाल, जेठ गजेन्द्र व जेठानी ममता ने दहेज की मांग को लेकर उसे प्रताड़ित किया था अथवा उसके साथ मारपीट की थी। साक्षी ने उसका पुलिस कथन प्रदर्श पी-4 पुलिस को लेख नहीं कराना व्यक्त किया है।

6— अभियोजन साक्षी खेमचंद चौधरी (अ.सा.2) ने अपने न्यायालयीन परीक्षण में कहा है कि आरोपी राजेन्द्र उसका जीजा है, शेष आरोपीगण फरियादी ललिता के ससुराल पक्ष के लोग हैं। उसे घटना के विषय में ललिता ने बताया था कि आरोपीगण से उसका मौखिक वाद-विवाद हुआ है, इसके अतिरिक्त उसे घटना के विषय में कोई जानकारी नहीं है। पुलिस ने ललिता के विवाह के संबंध में विवाह पत्रिका प्रदर्श पी-5 जप्त की थी, जिस पर उसने हस्ताक्षर किये थे। अभियोजन द्वारा साक्षी को पक्षद्रोही घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने इस बात से इंकार किया कि उसे फरियादी ललिता ने यह बताया था कि आरोपीगण दहेज में सोना, चांदी, भैंस व पैसे की मांग कर उसे प्रताड़ित करते थे। साक्षी ने इस बात से इंकार किया कि फरियादी ललिता ने उसे बताया था कि दिनांक-12.08.2014 को आरोपीगण ने दहेज की मांग को लेकर उसके साथ मारपीट की थी। साक्षी ने पुलिस कथन प्रदर्श पी-6 पुलिस को नहीं लेख कराना व्यक्त किया।

7— प्रकरण में उभयपक्ष द्वारा राजीनामा आवेदनपत्र प्रस्तुत किया गया है, परंतु शमनीय प्रकृति की धारा नहीं होने से आवेदनपत्र आंशिक निरस्त किया गया है। प्रकरण में फरियादी ललिता ने स्वयं यह कहा है कि आरोपीगण से उसका मौखिक विवाद हुआ था। आरोपीगण द्वारा दहेज की मांग नहीं की गई थी और न ही उससे दहेज सोना, चांदी, भैंस व पैसे लाने की बात को लेकर उसके साथ मारपीट की गई थी। अभियोजन साक्षी खेमचंद चौधरी (अ.सा.2) ने भी अभियोजन कहानी का समर्थन नहीं किया है और कहा है कि फरियादी ललिता ने मात्र विवाद होने के विषय में उसे बताया था। इस प्रकार फरियादी को आरोपीगण द्वारा मानसिक एवं शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया गया हो, यह बात संदेह से

परे प्रमाणित नहीं हो रही है और न ही यह बात प्रमाणित हो रही है कि आरोपीगण द्वारा फरियादी से दहेज की मांग की गई। ऐसी स्थिति में आरोपीगण को भारतीय दण्ड संहिता की धारा-498ए एवं धारा-3, 4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम का अपराध किया जाना संदेह से परे प्रमाणित नहीं हो रहा है। अतएव आरोपीगण को भारतीय दण्ड संहिता की धारा-498ए एवं धारा-3, 4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम के अपराध के अंतर्गत संदेह का लाभ दिया जाकर दोषमुक्त किया जाता है।

8— प्रकरण में आरोपीगण न्यायिक अभिरक्षा में निरुद्ध नहीं रहें हैं। इस संबंध में पृथक से धारा-428 द.प्र.सं का प्रमाण पत्र बनाया जावे।

9— प्रकरण में आरोपीगण की उपस्थिति बाबद् जमानत मुचलके द.प्र.सं. की धारा-437(क)के पालन में आज दिनांक से 6 माह पश्चात् भारमुक्त समझे जावेंगे।

10— प्रकरण में जप्तशुदा संपत्ति शादी का कार्ड व लकड़ी मूल्यहीन होने से अपील अवधि पश्चात् विधिवत् नष्ट की जावे, अपील होने की दशा में माननीय अपीलीय न्यायालय के आदेशानुसार निराकरण किया जावे।

**निर्णय खुले न्यायालय में घोषित मेरे निर्देश पर टंकित किया।  
कर हस्ताक्षरित एवं दिनांकित  
किया गया।**

**बैहर  
दिनांक-02.08.2016**

**(श्रीष कौलाश शुक्ल)  
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी,  
बैहर, म0प्र0**